Rcms-2018/00132

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 85 /2018

तारीख रजू:– 08.08. 2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. अणत राम मीना पुत्र किशल्लीराम मीना निवासी किरवाडा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

उपस्थिति :–1. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

दावा वावत इस्तकरारहक राज0 टि0एक्ट व धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक:– 8.8.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम किरवाडा तहसील टोडाभीम की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 88 मे वर्णित भूमि ख0न0 530/0.56, 1061/0.23, 1114/0.19, 1175/0.15, 1193/0.20, 1664/0.14, 1876/0.18, 1881/0.14, 1938/0.09 कुल किता 9 कुल रकवा 1.88 है0 मे खातेदारी अनन्तलाल पुत्र किसल्ली तथा खाता संख्या 99 के ख0न0 2079/0.47, 2090/0.27, 2093/0.12, 2094/0.17 कुल किता 4 कुल रकवा 1.03 है0 मे अन्तूराम पुत्र किशल्ली खाता संख्या 159 की भूमि ख0न0 1184/0.25, 1185/0.26 कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 मे अन्तराम पुत्र किशल्ली खाता संख्या 249 की भूमि ख0न0 1115/0.20, 1220/0.023, 1121/0.22 कुल किता 3 कुल रकवा 0.65 है0 मे अन्तराम पुत्र किशल्ली दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का सही नाम अणतराम पुत्र किशल्लीराम है। अनन्तलाल पुत्र किशल्ली, अन्तूराम पुत्र किशल्ली अन्तराम पुत्र किशल्ली एवं वादी अणतराम पुत्र किशल्ली राम एक व्यक्ति है। वादी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका मे वादी का नाम अणतराम पुत्र किशल्ली राम दर्ज है। चूकि वादी अशिक्षित एवं ग्रमीण व्यक्ति है उक्त खातो मे पटवारी हल्का की लिपिकीय त्रुटी से भूलवश नाम दर्ज हो गये है। न्याय आपके द्वारा राजस्व अभियान 2018 दिनांक 29.6.18 को अपने नाम की दुरूस्ती कराने के लिए तहसीलदार टोडाभीम को निवेदन किया तो उन्होने कहा कि आज अभियान का अंतिम दिवस है इसलिए नाम दुरूस्त नही हो सकता। इस कारण से दावा पेश किया है। अत: दावा पेश कर निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी के खातो मे दर्ज नाम अनन्तलाल पुत्र किशल्ली, अन्तूराम पुत्र किशल्ली अन्तराम पुत्र किशल्ली के स्थान पर सही व शुद्ध नाम अणतराम पुत्र किशल्ली राम दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावे। राजस्व रिकार्ड मे अमल कराने हेतु नायब तहसीलदार बालघाट को आदेश फरमाये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब प्रस्तुत किया कि अनन्तलाल पुत्र किशल्ली, अन्तूराम पुत्र किशल्ली अन्तराम पुत्र किशल्ली एवं वादी अणतराम पुत्र किशल्ली राम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

एक व्यक्ति है। वादी के आधार कार्ड न0 280961088365, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका रोल न0 612082—1994 मे वादी का नाम अणतराम अंकित है।

वादी वकील ने अपनी बहस मे ग्राम किरवाडा की भूमि के खातो मे वादी का सही नाम अणतराम पुत्र किशल्ली राम दर्ज कराने के आदेश प्रदान करने का कथन किया। वादी वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो व जबाब तहसीलदार का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो व आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका वर्ष 1994 मे वादी का नाम अणतराम पुत्र किशल्लीराम दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम ने अपने जबाब मे भी वादी का शुद्ध नाम अणतराम पुत्र किशल्लीराम बताया है। वादी का दावा वावत नाम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

अतः ग्राम किरवाडा तहसील टोडाभीम की जमाबन्दी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 88 मे वर्णित भूमि ख0न0 530/0.56, 1061/0.23, 1114/0.19, 1175/0.15, 1193/0.20, 1664/0.14, 1876/0.18, 1881/0.14, 1938/0.09 कुल किता 9 कुल रकवा 1.88 है0 मे खातेदारी अनन्तलाल पुत्र किसल्ली तथा खाता संख्या 99 के ख0न0 2079/0.47, 2090/0.27, 2093/0.12, 2094/0.17 कुल किता 4 कुल रकवा 1.03 है0 मे अन्तूराम पुत्र किशल्ली खाता संख्या 159 की भूमि ख0न0 1184/0.25, 1185/0.26 कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 मे अन्तराम पुत्र किशल्ली खाता संख्या 249 की भूमि ख0न0 1115/0.20, 1220/0.023, 1121/0.22 कुल किता 3 कुल रकवा 0.65 है0 मे अन्तराम पुत्र किशल्ली दर्ज है के स्थान पर अणतराम पुत्र किशल्ली राम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

08/8/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला-करौली (राज0)

Scanned by CamScanner